

प्रेषक,

निदेशक,
विकलांग कल्याण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

जिला विकलांग कल्याण अधिकारी,
शामली/ महोबा/ मुजफ्फर नगर/हापुड़,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:- C-5349 /वि0क0/यो0/आबंटन/2013-14, लखनऊ, दिनांक- 25 मार्च, 2014.

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में विकलांग शादी विवाह पुरस्कार योजनान्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को विकलांग शादी विवाह पुरस्कार योजना के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में निदेशालय के समर्पण स्वीकार पत्रांक 036 minus 301/ दिनांक 24.03.2014 द्वारा (संलग्नक-1) कुल रू0 1,12,450.00 की धनराशि का समर्पण स्वीकार करते हुए आबंटन आदेश संख्या- 074-0301 दिनांक 24-03-2014 (संलग्नक-2) के अनुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जाती है :-

- 1- उपर्युक्त धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुसंगत वित्तीय नियमों, आदेशों, तथा मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
- 3- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1195/दस-16/1994, दिनांक 6 जून, 1994 तथा शासनादेश संख्या-बी-2337/दस-97, दिनांक 21.11.1997 द्वारा निर्गत निर्देशों का भी कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 4- मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-8 पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक निदेशक, विकलांग कल्याण को उपलब्ध कराया जायेगा। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना तथा उसके सम्बन्ध में कलैण्डर के संकलित प्रारूप का उल्लेख मुख्य सचिव के अर्धशासकीय पत्र संख्या-3318/दस-22-98, दिनांक 28.07.1998 में किया गया है।
- 5- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा जिसका उत्तर दायित्व जिला विकलांग कल्याण अधिकारी का होगा।
- 7- उक्त आवंटन निदेशालय की सम्यक अनुदान पंजिका के पृष्ठ सं0-36 पर अंकित हैं।

भवदीय,

संलग्नक :- यथोक्त।

(अनिल कुमार सागर)
निदेशक।

पृष्ठांक संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-प्रथम/आडिट-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2 प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, विकलांग कल्याण विभाग।
- 3 सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4 सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5 समस्त उप निदेशक, विकलांग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6 वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-3/वित्त (बजट) अनुभाग-1
- 7 नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1
- 8 गार्ड फाईल।

(डा0 प्र0क0 वर्मा)
उपनिदेशक,
कृते निदेशक।

प्रेषक,

निदेशक,
विकलांग कल्याण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

जिला विकलांग कल्याण अधिकारी,
शामली/ महोबा/ मुजफ्फर नगर/हापुड़,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:- 65349 /वि0क0/यो0/आबंटन/2013-14, लखनऊ, दिनांक- 25 मार्च, 2014.

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में विकलांग शादी विवाह पुरस्कार योजनान्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को विकलांग शादी विवाह पुरस्कार योजना के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में निदेशालय के समर्पण स्वीकार पत्रांक 036 minus 301/ दिनांक 24.03.2014 द्वारा (संलग्नक-1) कुल रू0 1,12,450.00 की धनराशि का समर्पण स्वीकार करते हुए आबंटन आदेश संख्या- 074-030 दिनांक 24-03-2014 (संलग्नक-2) के अनुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जाती है :-

- 1- उपर्युक्त धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुसंगत वित्तीय नियमों, आदेशों, तथा मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
- 3- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1195/दस-16/1994, दिनांक 6 जून, 1994 तथा शासनादेश संख्या-बी-2337/दस-97, दिनांक 21.11.1997 द्वारा निर्गत निर्देशों का भी कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 4- मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-8 पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक निदेशक, विकलांग कल्याण को उपलब्ध कराया जायेगा। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना तथा उसके सम्बन्ध में कलैण्डर के संकलित प्रारूप का उल्लेख मुख्य सचिव के अर्धशासकीय पत्र संख्या-3318/दस-22-98, दिनांक 28.07.1998 में किया गया है।
- 5- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा जिसका उत्तर दायित्व जिला विकलांग कल्याण अधिकारी का होगा।
- 7- उक्त आवंटन निदेशालय की सम्यक अनुदान पंजिका के पृष्ठ सं0-36 पर अंकित हैं।

संलग्नक :- यथोक्त।

भवदीय,

(अनिल कुमार सायद)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-प्रथम/आडिट-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2 प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, विकलांग कल्याण विभाग।
- 3 सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4 सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5 समस्त उप निदेशक, विकलांग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6 वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-3/वित्त (बजट) अनुभाग-1
- 7 नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1
- 8 गार्ड फाईल।

(डा0 ए0के0 वर्मा)
उपनिदेशक,
कृते निदेशक।

